NT>

Title: Regarding violation of the reservation policy by Jharkhand High Court by selecting candidates for its recent recruitment to various posts from unreserved category.

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश बने हुए दो साल हो गए हैं और इन दो सालों में झारखंड के आदिवासी और मूलवासी बहुत दुखी हैं, उनके दिल जल रहे हैं और उस जले पर नमक छिड़कने का काम झारखंड हाई कोर्ट कर रही है।

झारखंड प्रदेश का निर्माण केन्द्र सरकार की अनुशंसा और सहमति से और संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से हुआ है। राज्य बनाने का एक मकसद है कि वहां के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। झारखंड के लगभग 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन झारखंड में जो हाई कोर्ट है, वहां दो मुद्दों पर, डोमिसाइल और रिज़र्वेशन के मुद्दों पर एक तरफ जनता है, जनप्रतिनिधि है, सरकार है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट है। वह जनता की आशा और आकांक्षाओं के विरुद्ध बार-बार फैसला दे रही है जिससे पूरे झारखंड में अशांति है, भीतर से लोग दुखी हैं। ऐसी हालत में हमें विचार करना ज़रूरी होगा कि ज्यूडीशियरी यदि लैजिस्लेचर के अधिकार क्षेत्र में अगर इस प्रकार हस्तक्षेप करेगी तो जन आकांक्षाओं का हमेशा अनुपालन नहीं हो पाएगा। इसी झारखंड हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में लगभग 2000 क्लर्क, चपरासी और पेशकारों की नियुक्ति की, 200 मुंसिफ और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की और उन नियुक्तियों में न आदिवासियों को लिया, न दलितों को लिया और न पिछड़ी जातियों को लिया। इस प्रकार से रिज़र्वेशन नीति का भी घोर उल्लंघन इस हाई कोर्ट ने किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्री सालखन मुर्मू : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थानीय के रूप में जब तक वहां के आदिवासियों और मूल वासियों को स्थानीय नहीं माना जाएगा, तब तक समस्या दूर नहीं होगी। रिज़र्वेशन में भी झारखंड की सरकार ने 73 प्रतिशत आरक्षण की घोाणा की, जिसे हाई कोर्ट ने काटकर 50 प्रतिशत कर दिया जबकि तमिलनाडु में अभी भी 69 प्रतिशत रिज़र्वेशन जारी है।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड हाई कोर्ट संवैधानिक तथा कांस्टीट्यूशनल प्ली लेकर हर चीज़ को काटने का काम कर रही है। â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की बात अब रेकार्ड पर न ली जाए।

(Interruptions) â€¦*

श्री सालखन मुर्मू : हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको संक्षेप में अपनी बात बोलनी चाहिए।

*** Not Recorded**